>

Title: Need to ensure the extension of benefits to all the eligible LPG customers under Direct Cash Transfer Scheme in Wardha Parliamentary Constituency, Maharashtra.

श्री दत्ता मेघे (वर्धा): मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिलाना चाहता हूं कि सरकार एलपीजी यानी रसोई गैस की कैश सब्सिडी स्कीम के अंतर्गत यानी के अब ग्राहकों को सब्सिडी वाले गैस सिलिंडर मार्केट रेट पर खरीदने पड़ेंगे और सब्सिडी उनके बैंक खाते में चली जाएगी। इसके लिए ग्राहकों को आधार नंबर और बैंक अकाउंट होना जरूरी होगा। इस तरह से ग्राहकों को इसका लाभ पहुंचाया जाएगा। 1 जून, 2013 से यह स्कीम महाराष्ट्र के पांच जिलों में लागू की है। इन पांच जिलों में वर्धा जिला मेरा चुनाव क्षेत्र है जहां सबसे प्रथम यह योजना शुरू की गई है जिसका मैं स्वागत करता हूं और सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं।

वर्धा जिले में 2 लाख 15 हजार रसोई गैस के उपभोक्ता है। इन उपभोक्ताओं में केवल 1 लाख 49 हजार लोग ही सब्सिडी के पात्र हैं शेष 66 हजार उपभोक्ताओं के पास बैंक खाता नहीं है। किंतु जो उपभोक्ता इसके पात्र हैं उन्हें भी कैश सब्सिडी प्राप्त नहीं हो रही है। जिला कलैक्टर और मेरे पास हजारों शिकायतें आ रही हैं। बैंक और गैस एजेंसी दोनों के पास कोई समाधान नहीं है।

इस कारण मेरे चुनाव क्षेत्र के लोगों तथा स्थानीय प्रतिनिधियों में असंतोष है। मेरा सरकार से निवेदन है कि जल्द से जल्द इस समस्या का हल निकाले और सामान्य नागरिकों को न्याय प्रदान करें।